



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228698
CG-DL-E-03082021-228698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]
No. 310]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [श्रमजन्य (स्वेट) इक्विटी का निर्गमन] विनियम, 2002, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्क्योरिटाइज्ड डेट इन्सट्रुमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्क्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम,

2008, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकूलिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में, विनियम 28क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में, विनियम 44 के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में, विनियम 33 के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में संशोधन

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में, विनियम 30 के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में संशोधन

7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में, विनियम 32 के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में संशोधन

8. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में, विनियम 76क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में संशोधन

9. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, विनियम 33 के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता)
विनियम, 2013 में संशोधन

भारतीय और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में संशोधन

21. भारतीय और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में, विनियम 28क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 में संशोधन

22. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 में, विनियम 27क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में संशोधन

23. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में, विनियम 32क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन

24. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, विनियम 32क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन

25. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, विनियम 32क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015 में संशोधन

26. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015 में, विनियम 27ख के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में संशोधन

27. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, विनियम 99क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में संशोधन

28. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में, विनियम 49क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में संशोधन

29. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, विनियम 295क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में संशोधन

30. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, विनियम 93क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में संशोधन

31. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में, विनियम 25क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में संशोधन

32. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में, विनियम 43क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में संशोधन

33. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में, विनियम 42क के उप-विनियम (1) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 में संशोधन

34. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 में, विनियम 42 के उप-विनियम (4) में, शब्दों "से संबंधित तकनीकी पहलुओं में" के लिए, शब्द "के संबंध में" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./175/2021-22]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd August, 2021

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (REGULATORY SANDBOX)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, Securities and Exchange Board of India (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Issue and

Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, Securities and Exchange Board of India Portfolio Managers) Regulations, 2020 and Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 namely, -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, in sub-regulation (1) of regulation 28A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992.

4. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, in sub-regulation (1) of regulation 44, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993.

5. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, in sub-regulation (1) of regulation 33, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.

6. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, in sub-regulation (1) of regulation 30, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994.

7. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, in sub-regulation (1) of regulation 32, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.

8. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, in sub-regulation (1) of regulation 76A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996.

9. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, in sub-regulation (1) of regulation 33, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999.

10. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, in sub-regulation (1) of regulation 43, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999.

11. In the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, in sub-regulation (1) of regulation 74B, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000.

12. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, in sub-regulation (1) of regulation 30, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002.

13. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002, in sub-regulation (1) of regulation 21, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008.

14. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008, in sub-regulation (1) of regulation 47A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.

15. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, in sub-regulation (1) of regulation 29A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

16. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, in sub-regulation (1) of regulation 33D, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

17. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, in sub-regulation (1) of regulation 31A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.

18. In the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, in sub-regulation (1) of regulation 26, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

19. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, in sub-regulation (1) of regulation 35A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013.

20. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, in sub-regulation (1) of regulation 23A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013.

21. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, in sub-regulation (1) of regulation 28A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

22. In the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, in sub-regulation (1) of regulation 27A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014.

23. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, in sub-regulation (1) of regulation 32A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014.

24. In the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, in sub-regulation (1) of regulation 32A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014.

25. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, in sub-regulation (1) of regulation 32A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015.

26. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015, in sub-regulation (1) of regulation 27B, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

27. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in sub-regulation (1) of regulation 99A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018.

28. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, in sub-regulation (1) of regulation 49A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

29. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, in sub-regulation (1) of regulation 295A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

30. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, in sub-regulation (1) of regulation 93A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018.

31. In the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, in sub-regulation (1) of regulation 25A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019.

32. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, in sub-regulation (1) of regulation 43A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020.

33. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, in sub-regulation (1) of regulation 42A, the words “in technological aspects” shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021.

34. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, in sub-regulation (4) of regulation 42, the words “in technological aspects” shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./175/2021-22]